

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी
दूरवा मं बनाम कन्हैयालाल वर्मा
 किस्म मुकदमा 183 व 188 RTA नं. 49/187/24 सन.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-7-24	<p>रिजिस्ट्रार को रिपोर्ट लेकर बाद पत्र पेश हुआ। वादी अधिवक्ता उपस्थित। बाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रार लेकर गयी अहमद प्रमितादीगज को नमूने पत्रावली दिनांक 20-9-2024 को पेश की।</p>	
20-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यलय बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अधिभरणगण कन्डोलेंस पर है। अतः पत्रावली गबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-11-24 को पेश हों।</p>	
22-11-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी ने अवगत कराया कि वे बाद पत्र को आगे चलना नहीं चाहते हैं तथा बाद पत्र को नोट प्रेस किया हस्ताक्षर वादी ने हस्ताक्षर आदेशिका पर किए। अतः बाद पत्र नोट प्रेस किए जाने से खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम लेकर पत्रावली बाद प्रति दारिदर दफ्तर है।</p>	<p>Not press प्रकरण</p>

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)